प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ....187/2023 दिनांक ....13/07/2023....................
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ....788...... समय ....9:15 PM..........
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 12–7–2023 समय 7.14 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 12–7–2023 समय 10.15 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पूरब दिशा, लगभग 115 किलोमीटर
(2) पता – बीबी/5 आवासीय क्वार्टर, डाक बंगला परिसर चित्तौडगढ ।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री रविन्द्र शर्मा
(2) पिता का नाम : रामवीर शर्मा
(3) आयु : 32 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : व्यापार
(7) पता : निवासी 311 भानुपुर आबूरोड जिला सिरोही।
सहपरिवादी
(1) नाम : श्री शैलेश व्यास
(2) पिता का नाम : श्री सोहनलाल व्यास
(3) आयु : 38 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह .... (6)
व्यवसाय : व्यापार
(7) पता : 184/ए गांधीनगर सेक्टर नं. 2 चित्तौडगढ।
7. अज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा पिता रामेश्वर लाल, निवास 19 एमपी कॉलोनी सेक्टर 14 उदयपुर हाल अधिशाषी अभियंता सा. नि.वि. खण्ड चित्तौडगढ़।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
कम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. भारतीय चलन मुद्रा 1.50 लाख रूपये एवं 2.50 लाख रूपये डमी नोट आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. जिला चित्तौडगढ द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी की फर्म दामोदर कन्ट्रक्शन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौडगढ में किये गये कार्य के बदले बिलों के भुगतान में कमीशन के रूप में कुल 4.00 लाख रूपये की मांग करना एवं दिनांक 12.07.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी के पुराने कार्य के बदले पूर्व में किये के बदले रिश्वती राशि 1,50 लाख रूपये पूर्व में मांग कर ग्रहण करने की स्वीकृति जाहीर करना एवं बिलों के भुगतान का कमीशन 2 प्रतिशत के हिसाब से एवं अर्थ वर्क के बिल का भुगतान के एवज में 4.00 लाख रूपये रिश्वती राशि मांग कर दिनांक 12–7–23 को ही 4.00 लाख (1.50 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोट एवं 2.50 लाख रूपये डमी नोट) रूपये रिश्वत के रूप में ग्रहण किये गये जो मौके से बरामद किये गये।
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 4.00 लाख रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

मामलात हालात इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 12–7–2023 को समय 10.15 ए.एम. पर परिवादी श्री रविन्द्र शर्मा S/o रामवीर शर्मा निवासी 311 भानुपुर आबूरोड जिला सिरोही ने ब्यूरो इकाई उदयपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि प्रस्तुत कि की फर्म दामोदर कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर मेरे पिता श्री रामवीर शर्मा हैं जिसकी पॉवर ऑफ अटोर्नी पिताजी ने मेरे नाम पर कर रखी है। मैं ही फर्म के सारे काम देखता हूँ। सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौडगढ द्वारा मेरी फर्म को तहसील चित्तौडगढ के करीबन 10 गांव के रोड निर्माण कार्य करने के तीन वर्क ऑर्डर अलग–अलग स्थानो के दिनांक 22–11–2022 को जारी किया गये थे। उक्त तीनो वर्क ऑडर की लागत कमशः प्रथम कार्य की 1 करोड 97 लाख, दूसरे कार्य की 2 करोड 11 लाख एवं तीसरे वर्क ऑर्डर की 2 करोड 7 लाख रूपये हैं । जिसमें से मेरी फर्म द्वारा उक्त तीनो कार्य के पेटे मेरी फर्म द्वारा करीबन 2 करोड का कार्य किया जा चुका है। जिसमें से एक करोड का भुगतान सा.नि.वि. वि. खण्ड चित्तौडगढ द्वारा अप्रेल–2023 को किया जा चुका है तथा शेष राशि 1 करोड के बिल भुगतान सा.नि.नि.वि. द्वारा नहीं किया गया है। मैंने अधिशाषी अभियन्ता सानिवि खण्ड चित्तौडगढ के अधिशाषी अभियन्ता कहा गया कि आपके पुराने कार्य के बदले किये भुगतान का कमीशन 2 प्रतिशत के हिसाब से एवं अर्थ वर्क के बिल का भुगतान पेटे 2.00 लाख रूपये अतिरिक्त इस प्रकार कुल 4.00 लाख रूपये लगेगें। तु मुझे 4.00 लाख रूपये मेरे कमीशन के देगा तो मैं तेरे रूके हुए बिलों का भुगतान कर दूंगा। वह मुझसे बार–बार पैसों की डिमान्ड कर रहा हे। इस कार्यवाही में मेरा चचेरा भाई शैलेश व्यास भी मेरे साथ रहेगा। रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश हैं। परिवादी श्री रविन्द्र शर्मा की रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का होना पाया गया जाने से परिवादी से मजिद पूछताछ की गई तो परिवादी द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया कि फर्म दामोदर कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर मेरे पिता श्री रामवीर शर्मा हैं जिसकी पॉवर ऑफ अटोर्नी पिताजी ने मेरे नाम पर कर रखी है। मैं ही फर्म के सारे काम देखता हूँ। सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौडगढ द्वारा मेरी फर्म को तहसील चित्तौडगढ के करीबन 10 गांव के रोड निर्माण कार्य करने के तीन वर्क ऑर्डर अलग–अलग स्थानो के दिनांक 22–11–2022 को जारी किया गये थे। उक्त तीनो वर्क ऑडर की लागत कमशः प्रथम कार्य की 1 करोड 97 लाख, दूसरे कार्य की 2 करोड 11 लाख एवं तीसरे वर्क ऑर्डर की 2 करोड 7 लाख रूपये हैं । जिसमें से मेरी फर्म द्वारा उक्त तीनो कार्य के पेटे मेरी फर्म द्वारा करीबन 2 करोड का कार्य किया जा चुका है। जिसमें से एक करोड का भुगतान सा.नि.वि. वि. खण्ड चित्तौडगढ द्वारा अप्रेल–2023 को किया जा चुका है तथा शेष राशि 1 करोड के बिल भुगतान सा.नि.नि.वि. द्वारा नहीं किया गया है। मुझे सानिवि खण्ड चित्तौडगढ के अधिशाषी अभियन्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा द्वारा पुराने कार्य के बदले किये भुगतान का कमीशन 2 प्रतिशत के हिसाब से एवं अर्थ वर्क के बिल का भुगतान पेटे 2.00 लाख रूपये अतिरिक्त इस प्रकार कुल 4.00 लाख रूपये की मांग की जा रही हैं। जिसमें से मै अभी दो तीन दिन पहले 1.50 लाख रूपये अधिशाषी अभियन्ता राजेन्द्र प्रसाद लखारा को दे चुका हूं। अधिशाषी अभियन्ता 4.00 लाख रूपये कमीशन के देने पर बिल पास करने की कह रहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो की अग्रिम कार्यवाही एवं उसके मन्तव्य से अवगत करा परिवादी को रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु कहा गया तो परिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार अधिशाषी अभियन्ता मुझसे अकेले में रिश्वत के संबंध में वार्ता नहीं करगें वो मेरे चचेरे भाई शेलेन्द्र व्यास निवासी चित्तौडगढ के सामने ही वार्ता करेगें। पहले भी वो मेरे साथ में थे तो ही उन्होने ने मुझसे रिश्वत की बातचीत की थीं। तत्पश्चात समय 10:25 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुरेश कुमार कानि. को मय ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्ड के तलब किये जाने पर श्री सुरेश कानि. कार्यालय में उपस्थित हो डिजीटल टेप रिकार्डर जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रविन्द्र शर्मा को डिजीटल टेप रिकार्डर के चलाने की विधि भली भांति समझाई गई एवं टेप रिकार्डर में नया मैमोरी को कार्ड डलवाया गया व श्री सुरेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी रविन्द्र शर्मा के साथ रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु समय

करीबन 10.45 एएम पर रवाना चित्तौडगढ किया गया। जिस पर समय 1:30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री सुरेश कुमार कानि. द्वारा जरिये दूरभाष अवगत कराया गया कि मैं व परिवादी दोनो ब्यूरो इकाई से रवाना होकर चित्तौडगढ समय करीबन 12.20 पीएम पर चित्तौडगढ के गणेशपुरा, नरपत की खेडी परिवादी के मकान पर पहुचें थे जहां पर परिवादी का चचेरा भाई शैलेश व्यास मिला जहां पर परिवादी ने बताया कि शैलेश व्यास मेरा चचेरा भाई है और आरोपी अधिशाषी अभियन्ता इनसे ही वार्ता करेगें जिस पर हम तीनो डाक बंगले पहुंच जहां पर मैंने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर को चालु कर परिवादी श्री रविन्द्र शर्मा को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु डाक बंगले परिसर में स्थित संदिग्ध के निवास आवासीय क्वार्टर की तरफ भेजा। मैं डाक बंगले के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाये खडा था कि समय करीबन 1.20 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया और मैंने डिज़ीटल टेप रिकार्डर को बन्द कर अपने पास रखा तो परिवादीगण ने बताया कि हमारी राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता के पास गये तो उन्होने मेरे से पूर्व काम के 1.50 लाख रूपये प्राप्त करने एवं बकाया अर्थ वर्क का 2.00 लाख् रूपये एवं 1 करोड के बिलों के भुगतान का 2 प्रतिशत के हिंसाब से 2.00 लाख रूपये इस प्रकार कुल 4.00 लाख रूपये और रिश्वत की राशि की मांग की गई और उन्होने मुझे रूपये दो घण्टे में लेकर आने का कहा। कानि. सुरेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि मैंने डिजीटल टेप रिकार्डर में वार्ता नहीं सुनी है किन्तु परिवादी ने जो वार्ता हुई वह मुझे बताई वहीं मेरे द्वारा आपको अवगत कराई गई हैं। अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुरेश कानि. को परिवादी के मकान पर ही रूकने एवं परिवादी को रूपये व्यवस्था करने के निर्देश दिंये गये। फिर समय 1:40 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से दो स्वतंत्र गवाह खान एवं भू-विज्ञान की तलबी जरिये तेहरीर करने पर स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित कार्यालय आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हर दोनो गवाहान का परिचय पूछा गया तो हर दोनो ने अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री जितिन चौहान पुत्र स्व श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान जाति राजपुत उम्र 34 साल निवासी 26, समता विहार अम्बामाता घाटी तितरडी पुलिस थाना सविना जिला उदयपुर हाल वरिष्ठ लिपिक निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर एवं श्री विशाल माथुर पुत्र श्री भुवनेन्द्र भारती जाति कायस्थ उम्र 42 साल निवासी 54/423, न्यू विद्यानगर श्रीजी विहार हिरणमगरी सेक्टर नं. 4 उदयपुर होना बताने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हर दोनो गवाह को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाह को कार्यालय में बैठाया गया। पुलिस निरीक्षक डा0 सोनू शेखावत को भी कार्यवाही में सम्मिलित रहने के आदेश दिये गये तथा कानि. सुरेश से लगातार सम्पर्क बनाये रखने की हिदायत दी गई। समय 2:25 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अब तक की कार्यवाही के हालात से उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो उदयपुर रेन्ज उदयपुर को अवगत कराया गया एवं निर्देशानुसार ब्यूरो इकाई एस-यू उदयपुर से पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार मय कानि की तलबी करने पर पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार मय कानि दिनेश कुमार नं. 266 के ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुए जिन्हे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही से अवगत कराया गया। फिर समय 2:50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डा0 सोनू शेखावत द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादीगण के पास रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4.00 लाख रूपये में से 1.50 लाख रूपयों की ही व्यवस्था हुई है। जिस पर हालात श्रीमान उप महानिरीक्षक को अर्ज किये गये एवं निर्देशानुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ही 2.50 लाख रूपयों के डमी नोटो की अपने स्तर से व्यवस्था करने की हिदायत की एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में एक टेक्सी वाहन ईनोवा मय चालक किराये पर मंगवाया गया। समय 3:10 पी.एम. पर तलब शुदा कानि. श्री अजय कुमार ब्यूरो इकाई इन्टेलीजेन्स युनिट से तलब शुदा उपस्थित हुआ। जिसे कार्यवाही में शामील किया गया। समय 3:15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री पुलिस निरीक्षकगण श्री आर्दश कुमार एवं डा0 सोनू शेखावत, श्री गजेन्द्र सउनि, श्री मुनीर मोहम्मद

हैडकानि., श्री टीकाराम कानि., लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री दिनेश कुमार कानि., श्री अजय कुमार कानि., का परिचय आपस में करवाया गया एवं ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया एवं समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों के हाथ साफ पानी एवं साबून से धुलवाये गये एवं ट्रेप बॉक्स में मौजूद कॉच की गिलासों एवं शीशियों को साफ पानी एवं साबून से धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये एवं ब्यूरो के मालखाना में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाई जाकर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक को सम्भलाई गई एवं समय 3:20 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के कम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, पुलिस निरीक्षक श्री आदर्श कुमार के सरकारी वाहन से एवं शेष ब्यूरो टीम सर्व श्री पुलिस निरीक्षक डा0 सोनू शेखावत, श्री गजेन्द्र सउनि, श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि., श्री टीकाराम कानि., लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री दिनेश कुमार कानि., श्री अजय कुमार कानि.,मय ट्रेप बॉक्स,लेपटोप-प्रिन्टर आदि आवश्यक संशाधन एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय फिनोफ्थलीन पाउडर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु टेक्सी वाहन से रवाना चित्तौडगढ हुए जो समय समय करीबन 5.00 पीएम पर परिवादी के चित्तौडगढ के गणेशपुरा, नरपत की खेडी स्थित मकान पर पहुंचे। जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादी श्री शैलेश व्यास से स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक एवं श्री जितिन चौहान वरिष्ठ लिपिक का आपस में परिचय कराया गया एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष परिवादी की लिखित रिपोर्ट पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिपोर्ट स्वयं लिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद करने पर परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी शैलेश व्यास के हस्ताक्षर करवाये गये एवं परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आज दिनांक 12-7-2023 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को चला कर सुना गया तो रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की पुष्टि होने की स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी ताईद की गई। परिवादीगण द्वारा अवगत कराया गया कि संदिग्ध अधिशाषी अभियन्ता रिश्वती राशि की तुरन्त मांग कर रहा है जिसे एक-दो घण्टे के अन्दर ही रिश्वती राशि दी जानी है नहीं तो उसे शंका हो जाने पर रिश्वती राशि को लेने से मना कर सकता हैं। फिर समय 6:00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रविन्द्र शर्मा को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादीगण ने अपने पास से 500-500 रूपये के 300 नोट कुल 1.50 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 500-500 रूपये के 500 नोट कुल 2.50 लाख रूपये के डमी नोट प्रस्तुत किये। उक्त नोटो के नम्बर का अंकन करने में समय लगने एवं नोट अधिक होने से नोटो की फोटो ली जाकर संलग्न फर्द की गई एवं उक्त नोटो पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर एक प्लास्टिक की थैली जिस पर भी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर थैली के बाहर चारों ओर लगवाया एवं उपस्थित परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रसायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं दीगर हिदायत दी गई एवं थैली को परिवादीगण को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि थैली को कहीं पर भी रखे नहीं केवल आरोपी द्वारा रिश्वती राशि की मांग करने पर ही उसको हाथों में दी जावे आदि हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर संलग्न पत्रावली की गई एवं समय 6:40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीगण के साथ कानि श्री सुरेश कुमार मय डिजीटल टेप रिकार्डर एवं हैडकानि मुनीर मोहम्मद को अग्रिम रिश्वती राशि लेन-देन हेतु डाक बंगले की ओर रवाना कर हिदायत की गई कि डाक बंगले से कुछ पहले साईड में वाहन को एक तरफ खडा कर डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादीगण को सुपुर्द कर रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता रिकार्ड करने एवं रिश्वती राशि दे चुकने के बाद पूर्व निर्धारित ईशारा करने की हिदायत के रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह, श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक के सरकारी वाहन एवं डा0 सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता मय आवश्यक संशाधन के डाक बंगले की ओर

रवाना हुए। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय पुलिस निरीक्षकगण श्रीमती सोनू शेखावत, श्री आदेश कुमार एवं ब्यूरो जाब्ता के डाक बंगले के आसपास पहुंच वाहनो को एक ओर साईड में खडा कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादीगण के निर्धारित ईशारे में थे कि समय करीबन 7.14 पीएम पर परिवादी द्वारा उसके मोबाईल से श्री सुरेश कुमार कानि. को कॉल किये जाने पर श्री सुरेश कुमार कानि. द्वारा उक्त निर्धारित ईशारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक श्रीमती सोनू शेखावत को अवगत कराने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते को ईशारे से अवगत करा तेज-तेज कदमो से परिवादी के पास पहुंचे जहा पर परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर बन्द कर प्रस्तुत किया एवं डाक बंगले के अन्दर स्थित आवासीय क्वार्टर संख्या BB/5 की तरफ ईशारा कर अवगत कराया गया कि राजेन्द्र प्रसाद अधिशाषी अभियन्ता इसी आवासीय क्वार्टर में है जिन्होने मुझसे अभी-अभी रिश्वती राशि के 4.00 लाख रूपये प्राप्त किये है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान उक्त आवासीय क्वार्टर पहुंचे तो क्वार्टर का मुख्य गेट अन्दर से बन्द होकर काफी आवाज देने पर भी अन्दर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित जाब्ते को दरवाजा खोलने के निर्देश दिये जाने पर उक्त आवास के दरवाजे के आगे लगे जाली वाला दरवाजे को जोर से खींचा तो दरवाजा बीच में से टुट गया फिर मुख्य दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अन्दर तलाश की गई तो आवासीय क्वार्टर की सभी लाईटें बन्द हो अन्धेरा हो रहा था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लाईटो को ऑन किया गया तो आवासीय क्वार्टर के पिछला गेट खुला मिला जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहियान जाब्ते द्वारा द्वारा क्वार्टर के पिछे मेन रोड की तरफ देखा गया तो एक व्यक्ति जो कि पैर से लंगडा-लंगडा कर भाग रहा था जिसे पीछे की ओर मेन रोड पर पूर्व में सुरक्षा हेतु नियोजित बल श्री अजय कुमार कानि एवं मुनीर मोह0 हैडकानि द्वारा रोका गया। इस दरम्यान डा. सोनू शेखावत व टीकाराम कानि., सीधे ही क्वार्टर की दीवार को लांघ कर सीधे ही तरनताल वाली रोड पर संदिग्ध को पकडने के लिये पहुंच गये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो टीम के अधिशाषी अभियन्ता के आवास से वाहन से तरनताल वाली रोड हेतु रवाना हुआ। अधिशाषी अभियन्ता की आवास की निगरानी हेतु सउनि श्री गजेन्द्र कुमार को आवास पर छोडा गया। बाहर तरनताल वाली मेन रोड पर पहुंचे तो उस व्यक्ति जिसे कि ब्यूरो जाब्ते के मुनीर हैडकानि द्वारा पकडा गया तो राजेंन्द्र प्रसाद ने अपने पास से प्लास्टिक की थैली में रखे रूपये रोड के किनारे फैंक दिये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं डा0 सोनू शेखावत, टीकाराम कानि. से रोड के किनारे पडे रूपयों को एकत्रित कराये जाकर आरोपी को ब्यूरो जाब्ते की सुरक्षा में सडक के एक ओर खडा किया गया । अग्रिम कार्यवाही के कम में रोड जिस पर से स्वतंत्र गवाहों व जाब्ते से रूपये एकत्रित कराये गये हैं जिसे बिना गिने ही स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथूर से प्लास्टिक की उसी थैली में ही रखवाये गये। अग्रिम कार्यवाही के कम में रोड जहां से रिश्वती राशि उठवाई गई का धोवन का घोल वांछित होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि. से वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कॉच का गिलास निकलवाया जाकर उसमें साफ पानी की बोतल मंगवाई जाकर गिलास में भरवाया गया एवं ट्रेप बॉक्स से स्वतंत्र गवाह श्री जितिन चौहान से ट्रेप बॉक्स में रखी सोडियम कार्बोनेट की शीशी मंगवाई जाकर साफ कॉच के गिलास जिसमें साफ पानी भरवाया गया में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त अपरिवर्तित घोल में सडक की किनारे की मिट्टी जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई उस स्थान की मिट्टी स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथूर से उठवाकर घोल में डलवाई गई तो घोल का रंग धुंधला गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया । उक्त धोवन के घोल के रंग को दो साफ कॉच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः एम-1 व एम-2 अंकित किये गये एवं रिश्वती राशि बरादगी स्थल रोड के किनारे की मिट्टी का भी सेम्पल लिया जाकर दो अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में भरवाया गया एवं रिश्वती राशि

बरामदगी स्थल के कुछ आगे की सादा मिट्टी के भी सेम्पल लिये जाकर दो अलग अलग थैलियों में भरवाया गया। मौके पर उपस्थित समस्त जाब्ते के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। चुंकि बरामदगी स्थल मुख्य सडक पर होकर अग्रिम कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही की जाना वांछित होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद को उसी अवस्था में वाहन में बैठाया जाकर क्वार्टर संख्या BB/5 पर मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के आरोपी के आवास पर पहुंचे। अग्रिम कार्यवाही के कम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर लिये गये धोवन के घोल की शिशियां को सिलचिट करवाया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा रिश्वती राशि ग्रहण की गई को प्लास्टिक की थैली में रखवाये गये थे उस प्लास्टिक की थैली पर पूर्व में फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था जिसे आरोपी द्वारा अपने हाथों में लिया गया है आरोपी के दोनो हाथों के धोवन का घोल का धोवन लिया जाना वांछित होने से ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बरामद रिश्वती राशि जो कि प्लास्टिक की थैली में स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथूर से रखवाई गई को दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाई गई तो उसमें 500-500 रूपये के 300 भारतीय चलन मुद्रा के कुल 1.50 लाख रूपये एवं 500-500 रूपये के 500 डमी नोट कुल 2.50 लाख रूपये इस प्रकार कुल 4.00 लाख रूपये होना पाया गया । जिस पर पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट जिसमें परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के फोटो में अंकित नम्बरो से करवाया गया तो मिलान हु ब हु होना पाया जाने पर भारतीय चलन मुद्रा के नोट 1.50 लाख रूपये पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष एक सफेद कागज की चिट लगा सिलबन्द कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं डमी नोट 2.50 लाख रूपये को भी अलग से कपडे की थैली में रखवाये जाकर सिलबन्द कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के कम में प्लास्टिक की थैली जिसमें रिश्वती राशि रखी गई है उस प्लास्टिक की थैली के धोवन का घोल लिया जाना वांछित होने से ट्रेप बॉक्स मे से एक साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कॉच की गिलास के घोल में प्लास्टिक की थैली जिसमें रिश्वती राशि रखवाई गई को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये एवं प्लास्टिक की थैली को भी एक कपडे की थैली में सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा वजह सबूत तब्त किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वती राशि बरामदगी स्थल से लिये गये मिट्टी के सेम्पल को दो प्लास्टिक की थैलियों में लिये गये है इन दोनो प्लास्टिक की थैलियों को अलग-अलग कपडे की थैली में रखे जाकर मार्क एम-3 व एम-4 दिया गया एवं कपडे की थैलियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसी प्रकार बरामदगी स्थल के कुछ आगे की

सादा मिट्टी जिनके भी सेम्पल लिये गये है इन दोनो प्लास्टिक की थैलियों को अलग-अलग कपडे की थैली में रखे जाकर मार्क एम-5 व एम-6 दिये गये एवं कपडे की थैलियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान से आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा, अधिशाषी अभियन्ता से उसका परिचय पूछा गया तो उसने अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद लखारा पुत्र श्री रामेश्वरलाल निवासी 19 एमपी कॉलोनी सेक्टर नं. 14 उदयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौडगढ होना बताने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी को परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी गर्दन नीचे कर खडा रहा जिसे पुनः पूछा गया तो कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया तथा परिवादी तरफ बार-बार हाथ जोड कर कह रहा था कि मुझे बचा लो। जिस पर आरोपी का ढाढस बन्धवाया गया पुनः पूछा गया तो कुछ नहीं बता रहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी को परिवादी श्री रविन्द्र शर्मा के कार्य से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तो दस्तावेज कार्यालय में ही होना बताने पर कार्यालय में फोन किये गये तो किसी के द्वारा कॉल रिसिव नहीं की गई। आयन्दा कार्यालय से परिवादी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये जायेगें नोट दर्ज किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में समस्त सिलचिट की कार्यवाही श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि. से करवाई गई एवं संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर समय 10:40 पी.एम. पर अधीक्षण अभियन्ता श्री हरिसिंह मीणा को फोन कर परिवादी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया जिस पर सानिवि कार्यालय के लिपिक श्री चन्द्र शेखर यादव पत्रावलियों को लेकर उपस्थित हुआ। जिसे हिदायत दी गई कि सम्पूर्ण दस्तावेज की प्रमाणित पत्रावलियां लेकर अधिकारी सहित कल दिनांक 13-7-23 को प्रातः 10.00 बजे ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रुखसत किया गया। फिर समय 10:50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी राजेन्द्र प्रसाद के निवास स्थान सरकारी आवास बी.बी./5 की नियमानुसार फर्द खाना तलाशी स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में मुर्तिब की जाकर संलग्न कार्यवाही की गई। खाना तलाशी में मिली राशि 1.35 लाख रूपये लिफाफा में डलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखी गई। फिर समय 11:15 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आज दिनांक 12-7-23 को समय करीबन 12.20 पीएम पर परिवादी रविन्द्र कुमार शर्मा, सह-परिवादी श्री शैलेश व्यास एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिशाषी अभियन्ता के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि परिवादी के द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई है। उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को कानि. श्री दिनेश कुमार से परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लेपटोप से कनेक्ट करा वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब की जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं उक्त वार्ता की 2 सीडीयां बनाई जाकर सीडियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक सीडी को सीडी कवर् में रखवा सिलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात दिनांक 13-7-2023 को समय 01:05 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 12-7-23 को समय करीबन 3.23 पीएम, 3.24 पीएम, 3.37 एवं 6.44 पीएम पर सह-परिवादी श्री शैलेश व्यास के मोबाईल नम्बर 9829102020 एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नं. 9462101825 पर हुई वार्तायें जो कि प्रक्रिया अनुसार ब्यूरो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई है। उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को कानि. श्री दिनेश कुमार से ही परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लेपटोप से कनेक्ट करा वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्टें पृथक-पृथक मुर्तिब की जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं उक्त वार्ता की 2-2 सीडीयां बनाई जाकर सीडियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक-एक सीडीयों को पृथक-पृथक सीडी कवर में रख पृथक-पृथक रख सिलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गयएवं समय 01:50 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आज दिनांक 12-7-23 को समय करीबन 6.45 पीएम पर परिवादी रविन्द्र कुमार शर्मा, सह-परिवादी श्री शैलेश व्यास एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिशाषी अभियन्ता के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कि परिवादी के द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई है। उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को कानि. श्री दिनेश कुमार से परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लेपटोप से कनेक्ट करा वार्ता की

फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब की जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं उक्त वार्ता की 2 सीडीयां बनाई जाकर सीडियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक सीडी को सीडी कवर में रखवा सिलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर समय 02:05 ए.एम.पर परिवादी श्री रविन्द्र शर्मा, सहपरिवादी शैलेष व्यास एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियंता खण्ड चित्तौडगढ़ के मध्य दिनांक 12.07.2023 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन, मोबाईल वार्ताऐ एवं दिनांक 12.07.2023 को रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 32 जी.बी. का जिस पर किंगस्टन लिखा हुआ है, को वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में नियमानुसार सिल्ड किया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गय। फिर समय 02:10 ए.एम. पर परिवादी श्री रविन्द्र शर्मा, सहपरिवादी श्री शेलेष व्यास एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिषाशी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड चित्तौडगढ़ मध्य दिनांक 12.07.2023 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन वार्ताए होने से उक्त मोबाइल हैडसेट वन प्लस 6 बंरग काला मॉडल संख्या वन प्लस A 6000 भुरे रंग का फ्लेप कवर ईएमइआई नम्बर स्लीम स्लॉट 1 (868263037978173) एवं ईएमइआई नम्बर स्लीम स्लॉट 2 868263037978165 को वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में नियमानुसार सिल्ड किया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गय।फिर समय 02:20 ए.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिशाषी अभियन्ता को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं अपनी आवाज का नमूना दिये जाने हेतु तहरीरे क्रमांक एसपीएल-1.व एसपीएल-2 दिनांक 13-7-2023 जारी की गई तो आरोपी द्वारा उक्त दोनो तेहरीरों पर अपनी आवाज का नमूना नहीं देने एवं अपना स्पष्टीकरण पृथक से प्रस्तुत दूंगा अंकित किया गया। तेहरीरों को संलग्न पत्रावली किया गया। फिर समय 01:55 ए.एम पर आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्व जूर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित होने से आरोपी को सीआरपीसी के प्रावधानानुसार गिरफ्तार किया। फिर समय 6.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में घटनास्थसल निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका संलग्न पत्रावली किया गया एवं समय करीब 7.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी एवं जब्तशुदा आर्टिकल एवं संशाधन के सरकारी/टेक्सी वाहनों से उदयपुर रवाना हो समय 9.00 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान मय मुल्जिम के ब्यूरो कार्यालय पहुंचे जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जब्त शुदा मालखाना आर्टिकल मालखाना प्रभारी श्री मुनीर मोह0 हैडकानि. को सुपुर्द कर नियमानुसार मालखाना रजिस्टर में इन्द्रजात हेतु सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. जिला चित्तौडगढ द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग किया गया। परिवादी की फर्म दामोदर कन्ट्रक्शन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौडगढ से तहसील चित्तौडगढ के करीबन 10 गांव के रोड निर्माण कार्य करने के तीन वर्क ऑर्डर अलग-अलग स्थानो के दिनांक 22-11-2023 को जारी किया गया था । उक्त तीनो वर्क ऑडर की लागत क्रमशः प्रथम कार्य की 1 करोड 97 लाख, दूसरे कार्य की 2 करोड 11 लाख एवं तीसरे वर्क ऑर्डर की 2 करोड 7 लाख रूपये थी । जिसमें से मेरी फर्म द्वारा उक्त तीनो कार्य के पेटे मेरी फर्म द्वारा करीबन 2 करोड का कार्य किया गया था। जिसमें से एक करोड का भुगतान सा.नि.वि.वि. खण्ड चित्तौडगढ द्वारा अप्रेल-2023 को किया जा चुका है तथा शेष राशि 1 करोड के बिल भुगतान सा. नि.नि.वि. द्वारा नहीं किया जाकर पुराने कार्य के बदले किये भुगतान का कमीशन 2 प्रतिशत के हिसाब से एवं अर्थ वर्क के बिल का भुगतान पेटे 2.00 लाख रूपये अतिरिक्त इस प्रकार कुल 4.00 लाख रूपये की मांग करना एवं दिनांक 12.07.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. जिला चित्तौडगढ द्वारा

परिवादी के पुराने कार्य के बदले पूर्व में किये के बदले रिश्वती राशि 1.50 लाख रूपये पूर्व में मांग कर ग्रहण करने की स्वीकृति जाहीर करना एवं बिलों के भुगतान का कमीशन 2 प्रतिशत के हिसाब से एवं अर्थ वर्क के बिल का भुगतान के एवज में 4.00 लाख रूपये रिश्वती राशि मांग कर दिनांक 12-7-23 को हीं 4.00 (1.50 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोट एवं 2.50 लाख रूपये डमी नोट) लाख रूपये रिश्वत के रूप में ग्रहण किये गये जो मौके से बरामद किये गये इस प्रकार श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा पिता रामेश्वर लाल, निवास 19 एमपी कॉलोनी सेक्टर 14 उदयपुर हाल अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड चित्तौडगढ़ के विरूद्ध जूर्म धारा 7, पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित है। अतः आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांक हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(विक्रम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट विक्रम सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा पिता रामेश्वर लाल, हाल अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 187/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2317-20 दिनांक 13.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. प्रमुख शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।